# विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी)

शहर स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन, इस प्रयोजन के लिए सृजित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा किया जाएगा। विशेष प्रयोजन साधन योजना बनाएगा, अनुमोदन करेगा, निधियां जारी करेगा, स्मार्ट सिटी विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन, निगरानी और मूल्यांकन करेगा। प्रत्येक स्मार्ट शहर के पास एक एसपीवी होगा जिसका अध्यक्ष कोई पूर्णकालिक सीईओ होगा और इसके बोर्ड में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और शहरी स्थानीय संगठनों के नामिती होंगे। राज्य/शहरी स्थानीय संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि (क) एसपीवी के लिए एक समर्पित और पर्याप्त राजस्व प्रवाह उपलब्ध है ताकि इसे आत्मनिर्भर बनाया जा सके और बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए अपनी स्वयं की ऋण पात्रता विकसित हो सके और (ख) स्मार्ट शहर के लिए सरकार के योगदान का उपयोग केवल अवसंरचना के सृजनार्थ किया जाए जिसके परिणामस्वरूप जनता को लाभ हो। परियोजनाओं का निष्पादन संयुक्त उपक्रमों, सहायक कंपनियों, सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी), तैयार अनुबंधों आदि के जरिए किया जा सकता है जो राजस्व प्रवाह से समुचित ढंग से जुडे हों।

एसपीवी शहर स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल लिमिटेड कंपनी होगी जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबी प्रायोजक होंगे एवं इनकी इक्विटी शेयरधारिता 50:50 होगी। एसपीवी में हिस्सेदारी लेने के लिए निजी क्षेत्र या वित्तीय संस्थानों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबी का 50:50 शेयरधारिता पैटर्न बरकरार रखा जाए और एसपीवी की अधिकांश शेयरधारिता एवं नियंत्रण कुल मिलाकर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबी के पास होगा।

एसपीवी को स्मार्ट सिटी मिशन में भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियां आबद्ध अनुदान के रूप में होगी और इसे पृथक अनुदान निधि में रखा जाता है। इन निधियों का महज उन प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाएगा जिनके लिए अनुदान दिए गए हैं और यह शहरी विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तो के अध्यधीन होंगी।

राज्य सरकार और यूएलबी परियोजना के आकार, अपेक्षित वाणिज्यिक वित्तपोषण और

वित्तपोषण की विधियों के अनुरूप एसपीवी की चुकता पूंजी की अपेक्षाओं का निर्धारण करेंगे। एसपीवी को इक्विटी आधार बनाने में सक्षम करने और इक्विटी पूंजी के अपने हिस्से का योगदान करने में सक्षम करने के लिए भारत सरकार के अनुदानों को दिशा-निर्देशों के अनुबंध-5 में दी गई शर्तों के अध्यधीन एसपीवी में इक्विटी पूंजी के यूएलबी हिस्से के रूप में उपयोग करने की अनुमति होगी। प्रारंभ में, एसपीवी के लिए न्यूनतम पूंजी आधार सुनिश्चित करने के लिए एसपीवी की चुकता पूंजी इतनी होनी चाहिए कि यूएलबी का हिस्सा कम से कम 100 करोड़ रूपए के बराबर हो और इसमें भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों की पहली किस्त की पूरी राशि (194 करोड़ रूपए) तक बढ़ोत्तरी करने का विकल्प हो। इस प्रकार राज्य/यूएलबी द्वारा इक्विटी योगदान के अनुसार, एसपीवी की प्रारंभिक चुकता पूंजी 200 करोड़ रूपए होगी (100 करोड़ रूपए भारत सरकार का योगदान और 100 करोड़ रूपए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा)। चूंकि भारत सरकार का प्रारंभिक अंशदान 194 करोड़ रूपए है, एसपीवी के विकल्प पर प्रारंभिक चुकता पूंजी 384 करोड़ रूपए तक जा सकती है। उल्लिखित प्रावधान से यह सुनिश्चित करते हुए चुकता पूंजी को परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार बाद के वर्षों में बढ़ाया जा सकता है कि यूएलबी, एसपीवी में राज्य/संघ राज्य प्रदेशों के बराबर अपनी शेयरधारिता रखने में सक्षम है।

एसपीवी की संरचना और कार्य अनुबंध 5 में दिए गए हैं और संगम अनुच्छेद में ऐसे प्रावधान दिए जाएंगे। संगम अनुच्छेद का नमूना टूलकिट में दिया गया है।

चुनौती के चरण II में शहरों का चयन करने के बाद, एसपीवी की स्थापना किए जाने से कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा कि पहले कहा गया है, एसपीवी को स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यान्वयन एवं प्रबंधन के लिए पूरी लोचशीलता प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और राज्य/यूएलबी उपाय करेंगे जैसा इस प्रयोजनार्थ दिशा-निर्देशों के अनुबंध 5 में विवरण दिया गया है। एसपीवी, क्षेत्र-आधारित परियोजनाओं की डिजाइनिंग, विकास, प्रबंधन एवं कार्यान्वयन करने के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (पीएमसी) की नियुक्ति कर सकता है। एसपीवी, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा तैयार सूची में पैनलबद्ध फर्मों एवं एकजुट होकर कार्य करने वाली एजेंसियों में से किसी से भी सहायता ले सकता है। वस्तुओं और सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए

पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाए जैसा कि राज्य/यूएलबी के वित्तीय नियमों में दिया गया है। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यथाः विकसित मॉडल रूपरेखाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

## एसपीवी की संरचना और कार्य

1. एसपीवी की संरचना

शहर स्तरीय एसपीवी की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत लिमिटेड कंपनी के रूप में की जाएगी और इसे राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी द्वारा संयुक्त रूप से प्रायोजित किया जाएगा। दोनों की इक्विटी शेयरधारिता 50:50 होगी। शेयरधारिता के इस पैटर्न को हर समय बरकरार रखा जाएगा। एसपीवी में इक्विटी का हिस्सा लेने के लिए निजी क्षेत्र या वित्तीय संस्थानों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते कि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र और यूएलबी का हिस्सा एक-दूसरे के बराबर हो, और कुल मिलाकर अधिकांश शेयरधारिता एवं एसपीवी का नियंत्रण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के पास (उदाहरण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र:यूएलबी:निजी क्षेत्र की शेयरधारिता का अनुपात 40:40:20 या 30:30:40 में) हो सकता है। 35:45:20 या 40:30:30 का अनुपात अनुमत नहीं है क्योंकि राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी की हिस्सेदारी समान नहीं है। *20:20:60 जैसा अनुपात भी अनुमत नहीं है क्योंकि* कुल मिलाकर राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों और यूएलबी के पास अधिकांश शेयरधारिता नहीं है)। इक्विटी के अलावा, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, मिशन के लिए निधियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व पूरा करने एवं एसपीवी की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अनुदान के रूप में स्मार्ट शहर मिशन में योगदान दे सकते हैं।

2. कंपनी (एसपीवी) द्वारा निधियां जुटाना और इनका उपयोग करना

केन्द्र सरकार द्वारा एसपीवी को प्रदान की गई निधियां आबद्ध अनुदान के रूप में होगी और इसे पृथक अनुदान निधि में रखा जाता है। इन निधियों का महज मिशन विवरणी और दिशानिर्देशों में दिए गए प्रयोजनों के लिए एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन उपयोग किया जाएगा। यूएलबी, राज्य सरकार के जरिए शहरी विकास मंत्रालय से भारत सरकार के अनुदानों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन एसपीवी के इक्विटी के अंशदान के रूप में करने की अनुमति देने का अनुरोध कर सकते हैं:

i. राज्य सरकार ने अपनी स्वयं की निधियों से एसपीवी के लिए पर्याप्त अंशदान किया है।

ii. अनुमोदन, भारत सरकार के उन अनुदानों तक सीमित होगा जो पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं। चूंकि स्मार्ट सिटी निधियों की भावी किस्ते निष्पादन के अध्यधीन है और इनकी कोई गारंटी नहीं है, यूएलबी को अपना इक्विटी अंशदान पूरा करने के लिए भावी किस्तों को चिह्नित करने की अनुमति नहीं होगी।

iii. इक्विटी अंशदान के रूप में भारत सरकार के अनुदान के उपयोग से राज्य सरकार और यूएलबी की सापेक्ष शेयरधारिता में परिवर्तन नहीं होगा, जो मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार बराबर ही रहेगा।

iv. यह स्पष्ट किया जाता है कि स्मार्ट शहरों के लिए भारत सरकार का अंशदान सख्त अनुदान के रूप में होता है और यूएलबी, एसपीवी में अपने इक्विटी योगदान के रूप में इन निधियों का उपयोग स्वविवेक से कर रहा है।

एसपीवी अन्य स्रोतों जैसे ऋण, लोन, उपयोगकर्ता प्रभार, करों, उप-प्रभार आदि से भी निधियां प्राप्त करेगा।

3. <u>निदेशक मंडल</u>

निदेशक मंडल में प्रधान कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी निदेशकों के अलावा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, यूएलबी के प्रतिनिधि और स्वतंत्र निदेशक होंगे। अपर निदेशक (जैसे पेरास्टेटल के प्रतिनिधि) को बोर्ड में शामिल किया जा सकता है जैसा आवश्यक समझा जाए। स्वतंत्र निदेशकों के प्रवेश के संबंध में कंपनी और शेयरधारक, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का स्वेच्छा से पालन करेंगे। एसपीवी बोर्ड की नियुक्ति और भूमिका की वृहद शर्तें निम्नवत दी गई हैं।

3.1. एसपीवी का अध्यक्ष संभागीय आयुक्त/कलेक्टर/नगर आयुक्त/शहरी विकास प्राधिकरण का प्रमुख कार्यकारी होगा जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है।

3.2. केंद्र सरकार का प्रतिनिधि एसपीवी के बोर्ड का निदेशक होगा और इसकी नियुक्ति शहरी विकास मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

3.3. एसपीवी के सीईओ की नियुक्ति शहरी विकास मंत्रालय के अनुमोदन से की जाएगी। सीईओ की नियुक्ति तीन वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए की जाएगी और उसे केवल शहरी विकास मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से ही हटाया जा सकेगा। सीईओ के

कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. बोर्ड पर्यवेक्षण और इसके नियंत्रण के अध्यधीन एसपीवी के दिन-प्रतिदिन के संचालनों के सामान्य आचरण की देखरेख और प्रबंध।

ख. कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम के भीतर सभी मामलों में कंपनी के लिए और उसकी ओर से अनुबंध अथवा व्यवस्थाएं करना।

ग. मानव संसाधन नीति बनाना और इसे अनुमोदनार्थ निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत करना जो स्टाफ की पदस्थिति के सृजनार्थ प्रक्रियाओं, स्टाफ की अर्हताओं, भर्ती प्रक्रियाओं, प्रतिपूर्ति और समापन प्रक्रियाओं का निर्धारण करेगा।

घ. बोर्ड द्वारा निर्धारित मानव संसाधन नीति के अनुसार, कपनी के वरिष्ठ प्रबंधन की भर्ती और इसे हटाना और कंपनी के अनुमोदित बजट के अनुसार नए पदों का सृजन एवं कर्मचारियों की भर्ती व वृद्धि करना।

ङ. कंपनी के सभी कर्मचारियों और प्रबंधकों के कार्य का पर्यवेक्षण और उनके कार्यों, उत्तरदायित्वों एवं प्राधिकारों का निर्धारण;

3.4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए डाटा बैंक से चुने गए स्वतंत्र निदेशकों का चयन किया जाएगा और उन्हें वरीयता दी जाएगी जिन्होंने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सूचीबद्ध करारों के खंड 49 को पूरा करते हुए कंपनी बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों के रूप में काम किया है।

4. <u>एसपीवी को शक्तियों का प्रत्यायोजन</u>

4.1. स्मार्ट सिटी मिशन के लिए एसपीवी के निर्माण का एक मुख्य लक्ष्य संचालन में स्वतंत्रता एवं निर्णय लेने और मिशन के कार्यान्वयन में स्वायत्तता सुनिश्चित करना है। स्मार्ट सिटी मिशन राज्य सरकार और शहरी स्थानीय संगठन को नगर निगम अधिनियम के दायरे तक और उसके तहत यथा प्रदत्त अनुसार सशक्त एसपीवी के सृजनार्थ सर्वश्रेष्ठ के अनुसरण को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।

4.1.1 एसपीवी के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में नगर परिषद के अधिकार और दायित्वों का प्रत्यायोजन।

4.1.2 नगर निगम अधिनियम/सरकार के नियमों के तहत एसपीवी के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी को यूएलबी को उपलब्ध निर्णय लेने के अधिकार का प्रत्यायोजन।

4.1.3 उस एसपीवी के निदेशक बोर्ड को, जिसमें राज्य एवं शहरी स्थानीय संगठन का प्रतिनिधित्व है, शहरी स्थानीय को शहरी विकास विभाग/स्थानीय स्वशासन विभाग/ नगर प्रशासन विभाग को उपलब्ध अनुमोदन और निर्णय लेने के अधिकार का प्रत्यायोजन।

4.1.4 ऐसे मामलों का प्रत्यायोजन जिनके लिए स्मार्ट शहरों के लिए राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त निगरानी समिति (एचपीएससी) को राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित है।

5. एसपीवी के <u>प्रमुख कार्य और उत्तरदायित्व</u> निम्न हैं:

i. परियोजनाओं के तकनीकी मूल्यांकन सहित उनका अनुमोदन एवं स्वीकृति।

ii. स्मार्ट सिटी प्रस्ताव के परिचालन में पूरी स्वतंत्रता से निष्पादन करना।

iii. स्मार्ट सिटी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संबंध में शहरी विकास मंत्रालय की अपेक्षाओं का अनुपालन करने के उपाय करना।

iv. संसाधन जुटाना और संसाधन जुटाने के लिए समय-सीमा के भीतर आवश्यक कार्रवाई करना।

v. तृतीय पक्ष की समीक्षा और निगरानी एजेंसी की रिपोर्टों का अनुमोदन एवं उन पर कार्रवाई करना।

vi. अवलोकन क्षमता निर्माण गतिविधियां।

vii. शैक्षणिक संस्थाओं और संगठनों के अंतर-संबंध विकसित करना और इनसे लाभ उठाना।

viii. निर्धारित समय सीमा के अनुसार परियोजनाओं को समय पर पूरा करना।

ix. परियोजनाओं के बजट, कार्यान्वयन सहित मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करना और एससीपी तैयार करना एवं अन्य मिशनों/योजनाओं और विभिन्न मंत्रालयों की गतिविधियों के साथ समन्वय करना।

x. गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित मामलों की निगरानी एवं समीक्षा करना और तत्संबंधी मुद्दों

पर कार्रवाई करना।

xi. संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों को शामिल करना और सरकारी निजी भागीदारियां करना जैसा स्मार्ट शहरी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकता है।

xii. अनुबंध, भागीदारी और सेवा वितरण व्यवस्थाएं करना जैसा स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकता है।

xiii. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकृत के रूप में निर्धारित और उपयोगकर्ता शुल्क प्रभार

xiv. यूएलबी द्वारा अधिकृत संग्रह कर, अधिभार आदि।

उपरोक्त प्रावधान एसपीवी के संगम अनुच्छेद में शामिल होंगे।